


23/2/21

पत्रावली पेसा वसीत परकार उपस्थित व
वहस विहार अधिवक्ता वारी पर विचार
किया गया। दोनो वहस विहार अधिवक्ता
वादी डाटा बादपत्र के तर्कों को दोष कट
जाद पत्र के अनुतोष को खीकाए कट
बादाता इति ल मानी रिज्यूड एवं
सेव्या के निर्ण का अंत लयाए कए
का निवेदन किया।

अपने तर्कों के समर्थन के विहार
अधिवक्ता वारी डाटा निम्न बाव्य
उम्हृत कियो।

शपथ-पत्र वारी PW-1, नकल जमावेंदी
ग्राम खैराबाद 2012-15 खाता नम्बर
1229 उदर्य-1, नकल जमावेंदी खैराबाद
खैरोबमल 2014-33 उदर्य-2, नकल
भोशिक कर मिताय सन् 2004-2024 उदर्य
3, नकल जमावेंदी खैराबाद खैरोबमल
उदर्य-4। उम्हृत कियो।

अबाव साकार हाए, शामिक मिल
किया गया। अबाव साकार के बाद
वारी खीकाए कए या नलीं कए
पर किली उकाए की कोइ टीका
रिपली नलीं की गए।


उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्ड

हुकम।

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हल्के खर्च २ एवं ५ ग्राम खैराबाद की
शुद्धि जलवा नम्बर २२१३ (कबा ५१) पर माफ़ी
जाहरी रिडीरान रामगोपाल बेरा देवनाथ, ५३
भागीनाथ मिट्टु पिठ गोविदा ५३ कस्बरी बेगी मंगल
नाम नाम रिज्यूम १-०-५७ गान ल कर्त ५१
उक्त शुद्धि के बाद खंडावला राधिया
नम्बर २५९१ कबा ०-४७ ह. पैसद किम
गर्भ जो वारी के नाम पर कर्त रिज्यूम ५१
अंकि माफ़ी का अंकन वादगल अंकि पर
कै पूर्व में ही हरा नियं जान का अंकन
है, ऐसी झलत में उक्त अंकि पर माफ़ी
रिज्यूम एवं खेष्वा के दिम का कंकन
मात्र रिखावरी छलील होता है शुद्धि के
माफ़ी रिज्यूम के क उपान्त उक्त अंकि पर
पुनः माफ़ी रिज्यूम का नोट का कंकन
अचिल गली ५१

कल: मुफ़ायतुल के आधार पर वाद
वादी स्वीकार किया जाऊँगे निर्णय जाह
है, कि ग्राम खैराबाद की शुद्धि खठ नं २५९१
कबा ०-४७ हं पर स "माफ़ी रिज्यूम" एवं
"खेष्वा के दिम" का अंकन हराया जाऊँगे रिज्यूम
उक्त किया जावी वादनुसा रिडीरान मुलिब है।
पश्चावती जैलक मुमा होत राठ दठ री
निर्णय भाष दि. २३-२-२१ को सेटे जल
लिखाया जाऊँगे सट इकनाथ सुनाया।

(इराल दान)
J.M.S.
उपखण्ड अधिकारी
पुनर्व्यवस्था

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे इत्तफाई

(ऑर्डर 20, कल 6-7, आप्तता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अखालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
 व इजलास देरालदान (I.A.S.)

नाम शाहनवाज खान वनाम खान
 दावा बाबत 88, 89, 188, R.T. No. 1955
 मुकद्दमा नं. 26 सन् 2019

2019
00069

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिषाल कतई रु-व-रु मुस देरालदान (I.A.S.)

बहाजरी श्री धनश्याम धाकड़ एड. मिनजानिव मुद्ई व —

मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
 वाद वादी स्वीकार किया जाऊल यह आदेश दिया जाता है, कि ग्राम खेराबाड़ की
 भूमि खंड नं० 2591 (कवा) 0.8 म दे० पर से "माफी रिज्यूम्स" एवं "संख्या नं० दिव्य"
 का अंकन हटाया जाऊल रिकार्ड ठुकरा किया जावे।

बीज — मुबालिग — बाबत —
 खर्चा इस मुकद्दमे के मय सुद व खरह — फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 02 2019
 को जारी की गई।

महर उपखण्ड अधिकारी
 मोहदा रामगंजमण्डी

मुद्ई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी वा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक		मीजान	

नोट-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये थिकारा गया हो वा नहीं खर्च करना
 चाहिये। वाद व्यय परसका अपना-अपना वहम की।

घ. नु. नो. 139-2006-1;00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी